Form No. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

राजस्व वाद सं. 2022/122 बअनवान सरकार बनाम देवीसिंह
अंतर्गत धारा 177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुये
13/08/24	पत्रावली पेश हुई। वकुलाय उप.। उपस्थित वकुलाय की बहस सुनी गई। वकील अप्रार्थी श्री विरमदेवसिंह ने बहस में अपने जवाब में उल्लेखित तथ्यों को दोहराते हुये दलील दी गई की प्रार्थना पत्र में वर्णित भूमि ग्राम बोया के खसरा नबर 253/2 रकबा 1.50 हैक्टर किस्म चाही दोयम जाव दोयम पर किसी प्रकार की अकृषि प्रयोजनार्थ गतिविधि नही होने से खसरा नंबर 253/2 में वाद हेतूक ही उत्पन्न नहीं है। प्रार्थनापत्र में वर्णित अन्य खसरा नबर 253/3 रकबा 1.60 हेक्टर के एक हिस्से में विवेक उच्च माध्यमिक विधालय का संचालन किया जा रहा है। इस भूमि का भू–संपरिवर्तन करवाने के लिए अप्रार्थी द्वारा संपरिवर्तन शुल्क व शास्ति राशि का भुगतान करते हुये उपखण्ड अधिकारी बाली के पत्रांक एफ12(3)/राज/संपरिवर्तन/2010/380 दिनांक 03.02.2011 से श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय पाली को अग्रेषित किया था। जिस पर संपरिवर्तन की कार्यवाही समय रहते पूर्ण नही होने से अप्रार्थी द्वारा माननीय राज. उच्च न्यायालय जोधपुर में सिवील रिट पिटीशन नंबर 6749/2016 पेश की गई जिस पर माननीय राज. उच्च न्यायालय जोधपुर ने अप्रार्थी के पक्ष में स्थगन भी पारित किया है जिससे ग्राम बोया के खसरा नंबर 253/3 जिसके कुछ हिस्से पर विवेक उच्च माध्यमिक विधालय संचालित है, के संबंध में प्रस्तुत उक्त प्रकरण चलने योग्य नहीं होने से खारिज किये जाने की दलील दी गई। विद्वान वकील अप्रार्थी ने बहस के दौरान थ्योरी ऑफ एस्टोपल के सिद्धांत के अनुसार भी प्रकरण बाधित होने से प्रकरण को खारिज किये जाने की दलील दी गई। प्रार्थी पैरोकार सरकार द्वारा वकील अप्रार्थी की दलीलो का खंडन करते हुये दलील दी गई कि ग्राम बोया के खसरा नंबर 253/2, 253/3 रकबा क्रमशः 1.50, 1.60 हैक्टर का दिनांक 02.02.2022 को रेकर्ड के अनुसार मौका निरीक्षण किये जाने पर पाया गया की उक्त खसरा नंबरान की भूमि खातेदारी कृषि भूमि है तथा मोके पर खातेदारों द्वारा विद्यालय संचालित कर भूमि को अकृषि प्रयोजनार्थ उपयोग में लिया जाना पाया जाने से अप्रार्थी का उक्त कृत्य राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 177 का उल्लंघन होने से प्रकरण न्यायालय में मय मौका फर्द के पेश किया गया। प्रार्थी पैरोकार सरकार ने वकील अप्रार्थी की माननीय उच्च न्यायालय के स्थगन आदेश की दलील का खण्डन कर न्यायालय का ध्यान माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 27.01.2017 की ओर दिलाते हुये दलील दी कि उक्त आदेश में माननीय उच्च न्यायालय में अप्रार्थी को निर्देश दिये की जब तक भूमि का संपरिवर्तन नही कर दिया जावे तब तक अप्रार्थी किसी प्रकार का निर्माण इत्यादि नही करे। इस प्रकार प्रकरण में अप्रार्थी को सक्षम प्राधिकारी अधिशाषी अधिकारी न.पा. बाली द्वारा अपनी धारित भूमि का	

न्यायालय उप-खण्ड अधिकारी बाली, जिला-पाली (राज.)

सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी, बाली

Scanned with CamScanner

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज

संपरिवर्तन करवाने के लिये कहने के उपरांत संपरिवर्तन नही कराया तथा राजस्थान उच्च न्यायालय में रिट याचिका पेश की। जिस रिट याचिका में भी अप्रार्थी को नियमों के अंतर्गत कार्यवाही करते हुये धारित भूमि का संपरिवर्तन करवाये जाने के निदेश दिये गये परंतु अप्रार्थी द्वारा न तो सक्षम प्राधिकारी के नियमों के अध्यधीन रहते हुये धारित भूमि का संपरिवर्तन करवाया गया एवं न ही माननीय उच्च न्यायालय के निर्देशों की पालना में निर्धारित शास्ति जमा करवाते हुये भूमि संपरिवर्तन करवाया। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय का प्रकरण में किसी प्रकार का स्थगन नहीं है अपितु अप्रार्थी स्वयं को नियमों के अध्यधीन रहते हुये अपनी धारित भूमि का नियत समयावधि में भूमि संपरिवर्तन करवाने के निर्देश है। जिसकी पालना भी अप्रार्थी द्वारा आदिनांक तक किया जाना प्रमाणित नहीं है।

अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाता है। ग्राम बोया स्थित भूमि 253/2, 253/3 रकबा क्रमशः 1.50, 1.60 हैक्टर किस्म चाही दोयम व जाव दोयम को राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 177 के तहत राजकीय सिवायचक दर्ज कर कब्जा बहक सरकार लिये जाने के आदेश दिये जाते है। आदेश प्रति तहसीलदार बाली व पटवारी हल्का बोया को पालनार्थ भिजवाई जावें।

न्यायालय उप-खण्ड अधिकारी बाली, जिला-पाली (राज.)

सहायक खण्ड अधिकारी एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी, बाली

Scanned with CamScanner